सं. 4-1 (129)/2011/डीडी-I
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगता कार्य विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 सितंबर, 2014

आदेश

विषय : चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, सकलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - संगठन को काली सूची में डालने –के संबंध में।

जबकि, चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, सकलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश नामक संगठन को 2009-10 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की केंद्रीय क्षेत्रक योजना (एडिप योजना) के तहत 45.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था।

2. जबकि, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) कार्यालय, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 23.05.13 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय से वर्ष 2009-10 के दौरान चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान, वाराणसी को सहायता अनुदान जारी करने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता थी क्योंकि उन्हें संगठन के खिलाफ शिकायत मिली थी। मंत्रालय द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर सीसीपीडी द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित एक निगरानी दल ने वर्ष 2009-10 के दौरान जारी सहायता अनुदान में से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, वाराणसी और मिर्जापुर जिलों में चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, सकलपुर, वाराणसी द्वारा प्रदान की गई सहायक यंत्रों और उपकरणों के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया था। दिनांक 03.01.2014 से 05.01.2014 के दौरान निगरानी दल द्वारा आजमगढ़ और मऊ जिलों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया और 02.06.2014 से 04.06.2014 के बीच वाराणसी और मिर्जापुर जिलों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

3. जबकि सीसीपीडी कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों से संबंधित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया था, जिन्होंने 2009-10 में चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान से सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त किए थे। सीसीपीडी की रिपोर्ट के अनुबंध-I में (प्रति संलग्न)] इसमें 75 व्यक्तियों के नाम थे जिन्हें संगठन से कोई सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त नहीं हुआ था। उस सूची में आजमगढ़ के 47 और मऊ जिले के 28 व्यक्ति थे। सीसीपीडी सूची के अनुबंध-II (प्रति संलग्न) में आजमगढ़ जिले के 14 व्यक्तियों के नाम हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति/पते थे जिनका निरीक्षण दल द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। अनुबंध-III (प्रति संलग्न) में आजमगढ़ जिले के एक व्यक्ति का नाम था, जिसे संगठन से कोई सहायक यंत्र/उपकरण प्राप्त नहीं हुआ था और जो वर्तमान में जीवित नहीं है।

4. जबकि आजमगढ़ जिलों में लाभार्थियों के संबंध में दिनांक 09.06.2014 के पत्र के माध्यम से संगठन द्वारा प्रस्तुत रसीदों का अवलोकन किया गया और सीसीपीडी की सूची के साथ तुलना की गई। सीसीपीडी सूची के अनुबंध-I में, आजमगढ़ जिले के 47 व्यक्तियों में से, जो कि सहायक यंत्र/उपकरण प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान ने 19 लाभार्थियों (सीसीपीडी सूची के अनुबंध-1 के क्र.सं. 1,3, 5-9, 35-38,40-47) से रसीदें प्रस्तुत की थीं।

इसी प्रकार, सीसीपीडी सूची के अनुबंध-II में, आजमगढ़ जिले के 14 व्यक्तियों में से, जिनमें निरीक्षण दल द्वारा व्यक्तियों/पते का पता नहीं लगाया जा सका, संगठन ने केवल 4 लाभार्थियों (सीसीपीडी सूची के अनुबंध-II के क्र.सं. 2, 8, 10 और 14) से रसीदें प्रस्तुत की थीं। लेकिन 25 लाभार्थियों में से, जिनसे संगठन द्वारा रसीदें प्रस्तुत की गई हैं, सीसीपीडी सूची से 2 नामों का पता नहीं लगाया जा सका/सत्यापित नहीं किया जा सका। संगठन द्वारा भेजे गए आजमगढ़ जिले के कुछ लाभार्थियों के फोटो में संबंधित लाभार्थी का नाम दर्शाया नहीं था।

5. जबकि दिनांक 22.06.20214 के पत्र के माध्यम से, संगठन ने मऊ जिले के 14 लाभार्थियों से लिखित रसीदें अग्रेषित की थीं, जिन्होंने 2009-10 के दौरान चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान से सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त किए थे। तदनुसार, मऊ जिले के संबंध में संगठन द्वारा प्रस्तुत रसीदों का अवलोकन किया गया और सीसीपीडी की सूची के साथ मिलान किया गया। सीसीपीडी सूची के अनुबंध-I में, मऊ जिले के 28 व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए थे, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्हें सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे और जिनका पता नहीं लगाया जा सका था, लेकिन चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान ने 11 लाभार्थियों (सीसीपीडी सूची के अनुबंध-1 के क्र.सं. 48, 55,60,65,66,69 और 71-77) से रसीदें प्रस्तुत की थीं। परंतु 14 लाभार्थियों में से, जिनसे संगठन द्वारा रसीदें प्रस्तुत की गई हैं, सीसीपीडी सूची से मिलान करने पर 3 नामों का पता नहीं लगाया जा सका/सत्यापित नहीं किया जा सका।

6. जबकि सीसीपीडी सूची के अनुबंध-I में, जो 75 व्यक्तियों/पते का है, जिनका निरीक्षण दल द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, केवल 30 लाभार्थियों अर्थात आजमगढ़ के 19 और मऊ जिलों के 11 से ही रसीदें प्रदान की गई थीं। सीसीपीडी सूची के अनुबंध-II, जिसमें आजमगढ़ जिले के 14 व्यक्तियों के नाम हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति/पता जिनका निरीक्षण दल द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है, संगठन ने केवल 4 लाभार्थियों से रसीदें प्रस्तुत की थीं। इसलिए कुल 89 व्यक्तियों (75+14) में से, संगठन द्वारा केवल 34 लाभार्थियों अर्थात् 50% से भी कम लाभार्थियों के संबंध में रसीदें प्रस्तुत की गईं ।

7. जबकि वाराणसी और मिर्जापुर जिलों में लाभार्थियों का वास्तविक सत्यापन सीसीपीडी कार्यालय के निगरानी दल द्वारा 2 से 4 जून, 2014 के बीच किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में 148 लाभार्थियों में से, दल ने 26 लाभार्थियों का औचक निरीक्षण दौरा किया था। 26 में से 15 लाभार्थी ही ऐसे पाए गए जिन्हें सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त हुए हैं। दो लाभार्थियों का पता अधूरा होने के कारण उनका पता नहीं लगाया जा सका। तीन लाभार्थी जिन्होंने सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त किए थे, वे निरीक्षण की तारीख के अनुसार जीवित नहीं थे। भले ही सूची में उल्लिखित छह लाभार्थियों का पता लगाया गया था, लेकिन कहा गया कि उन्हें चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान से सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

8. अतेव, मिर्जापुर जिले के संबंध में, 130 लाभार्थियों को सूची में दिखाया गया था। निगरानी दल ने भेरेहेड़ा पचवारा, तुलापुर, मीरपुर जमुई, चेरापुरे चुनार, चुनार, सुंदरपुर जमुई, रामपुर चुनार और जमालपुर जैसे स्थानों का दौरा किया था। लेकिन दल को उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन स्थानों पर कोई लाभार्थी नहीं मिला । दल ने तीन ग्राम प्रधानों और कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने बताया कि सूची में दिखाए गए लाभार्थी अपने संबंधित क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा पता, पिता का नाम और उपनाम के अभाव में वे लाभार्थियों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसके अलावा, दल ने क्रम संख्या 262, 263, 267, 268, 274, 311, 313

और 317 में लाभार्थियों के पते /स्थान का पता लगाने के लिए जमालपुर ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी से भी मुलाकात की थी जो जमालपुर ब्लॉक में रह रहे हैं । पूर्ण पते के अभाव में, वह सूची से लाभार्थियों की पहचान नहीं कर सके। 03.06.2014 को मिर्जापुर में दल के साथ गए जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय के एक स्टाफ सदस्य के बयान में यह भी कहा गया है कि पूर्ण पते के अभाव में, लाभार्थियों के पिता / पति का नाम और उपनाम पता नहीं लगाया जा सकता है।

9. जबकि सीसीपीडी कार्यालय द्वारा गठित निगरानी दल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, वाराणसी ने सरकारी अनुदान का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जिनके लिए उन्हें यह स्वीकृत किया गया था। इसके बजाय, वे सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए प्रमाण के रूप में अभिलेखों का फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहे हैं।

10. जबकि, मंत्रालय के दिनांक 31.01.2014 के पत्र के माध्यम से संगठन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि संगठन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और 2009-10 के लिए संगठन को जारी अनुदान की पूरी राशि दंडात्मक ब्याज के साथ वसूली क्यों न की जाए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो संगठन को काली सूची में डाल दिया जाएगा। यह स्पष्टीकरण दिनांक 31.01.2014 के कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना था।

11. चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें इस विभाग के दिनांक 28.02.2014 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया था जिसमें उन्हें नवीनतम रूप से 14.03.2014 तक अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। पत्र में यह भी दोहराया गया था कि यदि कोई जवाब नहीं मिलता है तो संगठन के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी, एक पक्षीय रूप से इस धारणा पर कि उनके पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

12. जबकि, अपना स्पष्टीकरण देने के बजाय, संगठन ने दिनांक 10.03.2014 के पत्र के माध्यम से 2009-10 के दौरान सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। मामले की जांच करने के बाद, संगठन को दिनांक 21.04.2014 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का बिंदुवार और विस्तृत स्पष्टीकरण 15.05.2014 तक प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था।

13. जबकि दिनांक 29.04.2014 के अपने उत्तर में, संगठन ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता और अध्यक्ष की मां की बीमारी/अस्पताल में भर्ती होने के कारण 20.06.2014 तक समय बढ़ाने का पुन अनुरोध किया। विभाग में इसकी भी जांच की गई और संगठन को 05.06.2014 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान ने दिनांक 09.06.2014 और 22.06.2014 के पत्रों के माध्यम से क्रमशः आजमगढ़ जिले और मऊ जिले के लाभार्थियों से रसीदें अग्रेषित कीं, जैसा कि ऊपर पैरा 4 से 7 में संदर्भित है।

14. इस प्रकार, वर्ष 2009-10 के दौरान जारी सहायता अनुदान के उपयोग के मामले में चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय उन्हें 31.01.2014 को जारी कारण बताओ नोटिस का बिंदुवार और विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

15. अब, उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जनहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आगे और वित्तीय सहायता के लिए चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, सकलपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) नामक संगठन को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है।

(एस.के. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23389368

सेवा में

प्रबंधक/मंत्री,

चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान एवं विकलांग विद्यालय, सकलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

1. मंत्रालय में सभी ब्यूरो प्रमुख
2. मंत्रालय के सभी निदेशक/उप सचिव
3. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, 6, सरोजिनी हाऊस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगों के कल्याण), उत्तर प्रदेश सरकार ।
5. जिला न्यायाधीश/कलेक्टर वाराणसी।
6. पीएसए, एनआईसी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मंत्रालय की वेबवाइट पर इस आदेश की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

प्रतिलिपि :-

माननीय मंत्री (एसजेएंडई) के निजी सचिव/माननीय राज्य मंत्री (एसजेएंडई) के निजी सचिव/सचिव (डीए) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/सचिव (एसजेएंडई)/संयुक्त सचिव (डीए) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।